माननीय *एस.एस.दीवान जे.* के समक्ष

सुरजा,- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,- प्रतिवादी

1979 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या

775

27 मई 1981.

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) - धारा 26 (बी) और प्रथम अनुसूची का भाग 2 - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908 का VI) - धारा 5 - अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध - ऐसे अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार - चाहे यह विशेष रूप से सत्र न्यायालय में निहित है।

माना गया कि प्रथम अनुसूची के भाग II के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1978 की धारा 26 (बी) के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि यदि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 का ही उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी विशेष अदालत जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण किया जाता है, तो उस स्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा क्योंकि निर्विवाद रूप से अपराध सात साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है। उक्त अधिनियम की शर्तों में अधिनियम की धारा 5 के तहत

अपराध की सुनवाई के लिए किसी विशेष अदालत का उल्लेख या निर्दिष्ट नहीं किया गया है। धारा 5 के तहत अपराध भारतीय दंड संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपराध होने के कारण संहिता की पहली अनुसूची (जो पुरानी संहिता की दूसरी अनुसूची से मेल खाती है) के भाग II के अंतर्गत आता है। और चूंकि इस तरह के अपराध को सात साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय बनाया गया है, इसलिए संहिता की पहली अनुसूची के भाग II में प्रविष्टि के कारण यह सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो जाता है।

(अनुच्छेद 6 and 7)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत श्री एस. अलग-अलग मामले, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराना और सजा सुनाना।

याचिकाकर्ता के वकील डी. एस. बाली।

राज्य की ओर से वकील एन.एस.अहलावत।

निर्णय

एस.एस. दीवान, जे.

(1) सूरज याचिकाकर्ता को ट्रायल मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया गया था। और एक साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अपील पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार, न केवल उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा बल्कि उसकी सजा की पुष्टि की और इसलिए वर्तमान याचिका की पुष्टि की।

(2) अभियोजन मामले की व्यापक रूपरेखा यह है कि 21 अक्टूबर 1976 को प्रातः 11.55 बजे दलीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ग्राम बंदाहेड़ी के बस स्टैंड पर मौजूद थे। जब उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ एक गुप्त सूचना मिली कि उसके घर में एक हथगोला है। जब पुलिस दल याचिकाकर्ता के घर के पास पहुंचा, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसकी निजी तलाशी में उसके पास से पिन लगा हैंड-ग्रेनेड-डेटोनेटर बरामद किया गया और उसे कब्जे में ले लिया गया। जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए रुका के आधार पर पुलिस स्टेशन में औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। हैंड-ग्रेनेड को निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन को भेजा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्ज़िबिट पी.डब्ल्यू. 5|ई की राय थी कि विचाराधीन हथगोला एक विस्फोटक पदार्थ था और इससे जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, उसे मुकदमे के लिए भेजा गया।

(3) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मनफूल सिंह, पीडब्लू 1, बलबीर सिंह, पीडब्लू 2, रामजी लाई, पीडब्लू 3, राम कुमार, सहायक उप-निरीक्षक, पीडब्लू 4, और दलीप सिंह सहायक उपनिरीक्षक, पीडब्लू 5 जांच अधिकारी से पूछताछ की। जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच की गई, तो आरोपी ने अभियोजन के आरोपों से इनकार किया और मामले में झूठी संलिप्तता का दावा किया। उन्होंने बचाव में आजाद सिंह, डीडब्ल्यू 1 की जांच की। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त बताए अनुसार आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, अपराध एक अवधि के लिए परिवहन के साथ दंडनीय है जिसे चौदह साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। . उनका कहना है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। राज्य के विद्वान वकील श्री भसीन के पास इस विवाद

को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 5 के तहत अपराध चौदह साल तक की कैद से दंडनीय है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (बाद में इसे नए कोड के रूप में संदर्भित) की धारा 26 (बी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (इसके बाद पुराने कोड के रूप में संदर्भित) की धारा 29 से मेल खाती है, जो इस प्रकार है:

"26. इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन –

(a) * * * * * # . .

(b) किसी भी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का, जब ऐसे कानून में इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो उसका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब किसी न्यायालय का ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसका विचारण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है-

(i) उच्च न्यायालय, या !"

(ii) (ii) कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध पहली अनुसूची में विचारणीय दिखाया गया है।"

(5) नए कोड की पहली अनुसूची का भाग II (जो पुराने कोड की दूसरी अनुसूची से मेल खाता है) निर्धारित करता है कि यदि अपराध मौत, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं तो उन पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। . जबकि जिन अपराधों के लिए तीन साल और उससे अधिक, लेकिन 7 साल से अधिक की कैद की सजा नहीं है, उनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है और जिन अपराधों की सजा 3 साल से कम की

कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है, उनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

(6) उक्त अनुसूची के साथ पठित नई संहिता की धारा 26(बी) के प्रावधानों पर, उक्त अधिनियम में स्वयं किसी विशेष न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के तहत अपराध या अधिक सटीक रूप से अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध विचारणीय है, तो उस स्थिति में धारा 5 के तहत अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। चूँकि निर्विवाद रूप से अपराध के लिए सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है। मेरे विचार से, उक्त अधिनियम, अपनी शर्तों के अनुसार, अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी अपराध की सुनवाई के लिए किसी विशेष न्यायालय का उल्लेख या निर्दिष्ट नहीं करता है।

(7) ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध भारतीय दंड संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपराध है, जो नई संहिता की पहली अनुसूची के भाग II के अंतर्गत आता है। जो पुरानी संहिता की दूसरी अनुसूची के अनुरूप है और चूंकि इस तरह के अपराध को 7 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय बनाया गया था, इसलिए नई संहिता की पहली अनुसूची के भाग II में प्रवेश पर यह सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो जाता है। चूँकि मेरा मानना है कि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है और ट्रायल मजिस्ट्रेट इस अपराध की सुनवाई करने में सक्षम नहीं था, इसलिए मैंने पुनरीक्षण की स्वत: प्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे के न्यायालयों के आदेश को रद्द कर दिया। मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, ट्रायल मजिस्ट्रेट को सत्र

न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले की जांच के संबंध में प्रावधानों का पालन करना होगा। और यदि उसे याचिकाकर्ता को उसके मुकदमे के लिए हिसार के सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए पर्याप्त आधार मिलता है, तो वह तदनुसार आदेश देगा। याचिकाकर्ता को 17 जुलाई, 1981 को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होना होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy